[2019] 13 एस. सी. आर. 893

ईश्वरी लाल यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1416–1417/2017)

अक्टूबर 03, 2019

[न्यायमूर्तिगण आर. एफ. नरीमन, आर. सुभाष रेड्डी और सूर्यकान्त]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 364 / 34 आर/डब्ल्यू। s.120B, ss. 302 / 34 आर/डब्ल्यू। s.120B और s. 201 – मानव के रूप में छोटे लड़के की नृशंस हत्या बलिदान– अभियोजन का मामला यह था कि एक बच्चा (लड़का) उसके घर से लापता पाया गया था–जब उसके माता–पिता उसकी तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने अपीलकर्ताओं के घर में जोरदार संगीत बजते हुए देखा–वे गांव के अन्य लोगों के साथ घर में घुसे और उन्हें मिट्टी का ताजा टीला मिला–अपीलकर्ता– मुख्य आरोपी जिसने "तांत्रिक" होने का दावा किया, उसने स्वीकार किया कि उन्होंने दूसरे लोगों की मदद से लड़के की हत्या की। सह–अभियुक्त और उसे "सिद्धि" प्राप्त करने के लिए दफनाया और दया की गुहार लगाई – अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, दो मुख्य अभियुक्तों में से और अन्य अभियुक्तों की एसएस। 364 / 34 आर/डब्ल्यू। s.120B, ss. 302 / 34 आर/डब्ल्यू। s.120B और s. 201 सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः स्वतंत्र गवाहों द्वारा लगातार यह बयान दिया गया कि जब वे मुख्य अभियुक्त के घर में प्रवेश करते थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने बलिदान के उद्देश्य से लापता बच्चे की हत्या की थी–यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि इस तरह के इकबालिया बयान प्रलोभन, धमकी या वादे से किए गए थे जब इस तरह के इकबालिया बयानों की पुष्टि रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों द्वारा की गई थी, तो निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के इकबालिया बयानों पर सही भरोसा किया– जहां तक अपहरण और साजिश के आरोप का संबंध है, रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था–जहां तक सह–आरोपी का संबंध है, मुख्य आरोपी के अलावा, व्यक्तियों की कोई स्थिरता नहीं थी। मुख्य अभियुक्त के घर में गवाहों द्वारा नामित, जब वे सभी अपने घर में प्रवेश करते थे–मुख्य अभियुक्त के साथ अन्य सभी अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में कोई सुसंगत निश्चित साक्ष्य के अभाव में और आगे जब अभियोजन पक्ष मुख्य अभियुक्त के साथ अपनी ओर से सामान्य इरादे या साजिश को साबित करने में विफल रहा, अभियुक्त, अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस तरह के सह–अभियुक्त संदेह के लाभ के हकदार हैं अभियोजन ने धारा 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 के तहत अपराध के लिए मुख्य अभियुक्त का अपराध साबित किया हालाँकि, धारा 364 / 34 आर/डब्ल्यू। s.120B के तहत उनकी सजा अलग रखा गया है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: s.106–आयोजित की प्रयोज्यताः संबंध में एस 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत, यह ठोस साक्ष्य से साबित हुआ कि लापता लड़के का शव मुख्य आरोपी के घर में पाया गया था–धाराओं के तहत प्रावधान लागू करके। 106 , अभियुक्त पर यह बोझ था कि वह अपनी जानकारी में इस तथ्य को बताए कि लड़के के शव को उनके घर में कैसे दफनाया गया–दंड संहिता, 1860।

सजा/सजाः मृत्युदंड–हत्या के लिए दंड–यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि एस के तहत अपराध के लिए सामान्य दंड। 302 आई. पी. सी. आजीवन कारावास है लेकिन एक ऐसे मामले में जहां घटना "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम" की है, मौत की सजा दी जानी है–यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल विशेष तथ्य और परिस्थितियां ही मौत की सजा को पारित करने की गारंटी देंगी और विकल्प का प्रयोग करने से पहले, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा–प्रत्येक मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए – आगे के कारकों जैसे कि अभियुक्त की उम्र, सुधार की संभावना, अपराध की गंभीरता आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए– इस मामले में, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चला है कि दो मुख्य अभियुक्तों ने दो साल के बच्चे की हत्या भगवान के लिए बलिदान के रूप में की थी–उनके उस समय तीन नाबालिग बच्चे थे–इसके बावजूद, उन्होंने दो साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी–असहाय बच्चे का सिर काट दिया गया था, उसकी जीभ और गाल भी काट दिए गए थे। दो अपीलार्थियों द्वारा की गई हत्या–अपीलार्थी जो मुख्य अभियुक्त थे, उन्हें भी पहले के अवसर पर 6 साल की लड़की की इसी तरह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था–इसी तरह के अपराध के लिए इस तरह की सजा को गंभीर कारक माना जा सकता है–यह "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" का मामला है जहां निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की उच्च न्यायालय–दंड संहिता, 1860–बच्चों के खिलाफ अपराध द्वारा सही पुष्टि की गई थी।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित कियाः 1. पीडब्लू–3 और पीडब्लू–5 में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों, मृतक बच्चे के माता–पिता ने एक स्वर में कहा कि जब वे मुख्य आरोपी के घर में घुसकर उन्हें कुछ गीली जगह और कुछ पूजा के सामान मिले। उन्होंने मिट्टी के नए टीले देखे। जब उन्होंने उसी को हटा दिया, तो उन्हें दो भागों में मृत बच्चा के शव मिला। सभी गवाहों ने लगातार कहा कि शरीर दो हिस्सों में था, उसके गाल काट दिए गए थे और जीभ गायब थी। स्वतंत्र गवाहों द्वारा लगातार यह बयान दिया गया कि जब वे मुख्य आरोपी के घर में घुसे तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की थी।बलिदान के उद्देश्य से मृत बच्चा। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि इस तरह के इकबालिया बयान इसके कारण हुए थे प्रलोभन, धमकी या वादा। जब इस तरह के इकबालिया बयानों की पुष्टि रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों द्वारा की गई थी, तो निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के इकबालिया बयानों पर सही भरोसा किया था। साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि जिस स्थान पर मृतक लड़के का शव मिला था, वह दो मुख्य अभियुक्तों का था और उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण

निचली अदालत ने इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई गलती नहीं की थी। [पारस 14,16] [905 एच; 906–ए–बी]

2. अपहरण और साजिश के आरोप को साबित करने के लिए, रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था। किसी की अनुपस्थिति मेंअधिनियम सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। दोनों मुख्य अभियुक्तों के बीच समान इरादा साबित हुआ लेकिन साथ ही अन्य सभी के खिलाफ उनके अपराध को साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था कि उन्होंने अपराध के साथ अपराध किया है। अभियोजन पक्ष मुख्य अभियुक्त के अलावा अन्य सभी अपीलार्थियों के सामान्य इरादे को साबित करने में विफल रहा, या तो घटना के दिन मृत बच्चे का अपहरण करने या हत्या करने के लिए। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि अन्य सभी अभियुक्त थे स्वघोषित गुरुमाता के शिष्य थे, मुख्य अभियुक्त नं. 2 और वे नियमित रूप से फल और फूल चढ़ाने के लिए उसके घर जाते थे। जब वे सभी उनके घर में घुसे तो मुख्य आरोपी के घर में गवाहों द्वारा नामित व्यक्तियों की कोई एकरूपता नहीं थी। उपस्थिति के संबंध में किसी भी सुसंगत निश्चित साक्ष्य के अभाव में मुख्य अभियुक्त के साथ अन्य सभी अभियुक्तों में से और आगे जब अभियोजन पक्ष या तो सामान्य इरादे को साबित करने में विफल रहा या मुख्य अभियुक्त के साथ उनकी ओर से साजिश, अभियोजन पक्ष के मामले को इस तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने मुख्य अभियुक्त के अपराध को साबित कर दिया आई. पी. सी. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध। [पैरा 17] [906–सी–जी; 907–बी–सी]

3. यह ठोस साक्ष्य से साबित होता है कि लापता लड़के का शव मुख्य आरोपी के घर में मिला था। भारतीय साक्ष्य की धारा 106 के तहत प्रावधान को लागू करना निश्चित रूप से, यह अभियुक्त का बोझ है कि वह उनके ज्ञान के भीतर इस तथ्य को बताए कि लड़के का शव उनके घर में कैसे दफनाया गया। [पैरा 19] [908–बी–सी]

4. यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है लेकिन एक मामले में जहाँ घटना "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम" है, वहाँ मृत्युदंड दिया जाना है। केवल विशेष तथ्यों और परिस्थितियों से ही मृत्युदंड पारित करने की आवश्यकता होगी और इससे पहले कि परिस्थितियों को गंभीर बनाने और कम करने के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाए। विकल्प का प्रयोग किया जाता है। "दुर्लभतमतम मामले" में मृत्युदंड दिया जाना है। प्रत्येक मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। अभियुक्त की आयु, सुधार की संभावना, अपराध की गंभीरता आदि जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में मुख्य आरोपी ने भगवान को बलिदान देने के लिए दो साल के बच्चे की हत्या कर दी। उस समय उनके तीन छोटे बच्चे थे। इसके बावजूद उन्होंने दो साल की उम्र के मृतक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। असहाय बच्चे का सिर काट दिया गया था, उसकी जीभ और गाल भी काट दिए गए थे। अभियुक्तों की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनमें बुनियादी मानवता नहीं थी, उनमें पूरी तरह से उस मानसिकता या मानसिकता का अभाव था जो किसी भी सुधार

के लिए उपयुक्त हो सकता है। यह दो अपीलार्थियों द्वारा की गई एक सुनियोजित हत्या है। अपीलार्थी जो मुख्य अभियुक्त हैं, उन्हें पहले भी 6 साल की लड़की की इसी तरह की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 302/34 और धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसी तरह के अपराध के लिए इस तरह की सजा को उकसाने वाला कारक माना जा सकता है। [पारस 22, 23] [910–एफ–एच; 911–ए–डी]

सुशील मुर्मू बनाम। झारखंड राज्य (2004) 2 एससीसी 338: [2003] 6 पूरक। एससीआर 702; बचन सिंह बनाम पंजाब (1980) 2 एस. सी. सी. 684; माची सिंह बनाम पंजाब (1983) 3 एस. सी. सी. 470 [1983] 3 एस. सी. आर. 41 पर भरोसा करें।

अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य [1966] 1 एससीआर 134;

सहदेवन और अन्न वी. तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एससीसी 403 [2012] 4 एससीआर 366; शंभू नाथ मेहरा बनाम द अजमेर राज्य [1956] एस. सी. आर. 199; रोनी बनाम महाराष्ट्र (1998) 3 एस. सी. सी. 625: [1998] 2 एससीआर 162 – अप्रयोज्य रखा गया।

फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य वी. केरल राज्य (2001) 7 एससीसी 596– संदर्भित

संदर्भित निर्णय

(2001) 7 एस. सी. सी. 596 संदर्भित किया गया पैरा 19

[1966] 1 एससीआर 134 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 18

[2012] 4 एससीआर 366 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 18

[1956] एससीआर 199 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 19

[2003] 6 पूरक। एससीआर 702 उस पर भरोसा करें पैरा 21

(1980)2 एस.सी.सी.684 उस परभरोसाकरें पैरा 21 [1983] 3 एससीआर 413 उस पर भरोसा करें पैरा 21

[1998] 2 एससीआर 162 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 22

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार– आपराधिक अपील नं. 1416–1417/2017

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 01.12.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से आपराधिक संदर्भ सं. 1 और 2014 की आपराधिक अपीलसं.511 की2014 के साथ

आपराधिक अपील सं। 300–301 / 2018 , 1418–1419 / 2017,298–299 / 2018 .

बीरेंद्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता। (ए. सी.)

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री निन्नी सुसान थॉमस, यश एस. विजय, सुश्री जेमटीबेन एओ। , सुश्री सौम्या गुप्ता, सिद्धांत कृष्ण दवे, कबीर दीक्षित, राजीव कुमार बंसल, एम. पी. सिंह, अक्षय के. घई, सुमीर सोधी, आशीष तिवारी, सुश्री रिधिमा जुनेजा, सुश्री सुदिती बत्रा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

1. ये सभी अपीलें बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2016 के सामान्य फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं। आपराधिक संदर्भ संख्या 1 और 2014 की आपराधिक अपील No.511, की 2014 इस प्रकार उनका निपटारा इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जाता है।

2. सभी अपीलार्थियों पर धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगाया गया थाधारा 364/34 120 बी ; 120 बी और 201 , भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.)। 2011 के सत्र परीक्षण No.61 के2011 में पारित दिनांक 27.03.2014 के फैसले के माध्यम से, विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। धारा 364/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास प्रत्येक पर Rs.5000/– के जुर्माने के साथ, जिसकी चूक में, उन्हें सजा चार महीने के लिए और कठोर कारावास के सुनाई गई .आई. पी. सी. की धारा 302/34 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत मृत्युदंड की सजा और Rs.5000/– के जुर्माने के साथ, जिसकी चूक में, उन्हें सजा चार महीने के लिए और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए, पांच साल के लिए कठोर कारावास और जुर्माना और दो महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अपीलार्थियों पर लगाए गए मृत्युदंड को ध्यान में रखते हुए, Cr.P.C की धारा 366 के तहत आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय को एक निर्देश दिया गया था।और आगे अपीलकर्ता–अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.511 की 2014 दायर की है। दिनांक 01.12.2016 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दो मुख्य अभियुक्तों, ईश्वरी लाल यादव श्रीमती.और किरण बाई को मौत की सजा की पुष्टि की है।

4. मृतक, एक छोटा दो साल का लड़का, जिसका नाम है, चिराग राजपूत, पोषण सिंह (पीडब्लू–3) और सावित्री बाई (पीडब्लू–5) का बेटा था। पीडब्लू–5 वह घरेलू सहायक के रूप में

काम करता है जबकि पोषण सिंह (पीडब्लू–3) भिलाई में काम कर रहा था। श्रीमती. वंदना राजपूत (पी. डब्ल्यू.–21) सावित्री बाई (पी. डब्ल्यू.–5) की बहन है और दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 23.11.2010 पर नाबालिग बच्चे–पराग के साथ घर पर थी। जब वंदना राजपूत (पीडब्लू–21) और मृतक लड़का चिराग राजपूत 23.11.2010 पर घर पर थे, तो जब वह अंदर थी, तब वह खेलने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ समय बाद जब वह बाहर गई तो उसे नहीं मिला कि चिराग गायब है। उसने तुरंत अपनी बहन और बहनोई, यानी पी. डब्ल्यू.–5 और 3 को फोन किया, जो अपने घर वापस आ गए।

5. अभियोजन पक्ष का मामला है कि दो मुख्य आरोपी श्रीमती. किरण बाई और उनके पति ईश्वरी लाल यादव तंत्रवाद में विश्वास करते थे। श्रीमती. किरण बाई सिद्धि प्राप्त करना चाहती थीं। उसे भी घोषित किया गया था ' गुरुमाता '। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उन्होंने अपने पति और उनके साथ अन्य सह–अभियुक्त शिष्यों से मानव बलि के लिए एक छोटा बच्चा लाने के लिए कहा। मुख्य आरोपी पीडब्लू–3 और 5 के पड़ोसी थे। आरोप है कि भगवान को बलिदान देने के उद्देश्य से मुख्य आरोपी किरण बाई और ईश्वरी लाल यादव के घर के अंदर बच्चे के अपहरण और नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें घर के परिसर में दफनाया गया। रोने की आवाज़ से बचने के लिए, संगीत प्रणाली को जोर से बजाया गया।

6. वंदना राजपूत (पीडब्लू–21) से जानकारी मिलने के बाद बहन सावित्री बाई (पीडब्लू–5) और बहनोई पोषण सिंह (पीडब्लू–3), सभी ने पराग की तलाश शुरू कर दी। जब बच्चे के माता–पिता, परिवार सदस्य और पड़ोस के अन्य लोग लापता लड़के की तलाश कर रहे थे, उन्हें दो मुख्य अभियुक्तों के घर से निकलने वाले तेज संगीत से संदेह हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने किरण बाई और ईश्वरी लाल यादव के घर में घुसकर पाँच लोगों को पाया। ताजा खोदी गई मिट्टी के टीले। यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ एक पत्ती का कटोरा (डोना), एक छोटा कटोरा (कटोरी), एक छोटा गोल धातु का बर्तन (लोटा), एक त्रिशूल (त्रिशूल), मूर्तियाँ और देवताओं की तस्वीरें और पूजा की अन्य वस्तुएँ भी थीं। वहाँ लेटे हुए थे। इनमें से कुछ वस्तुओं पर खून था। आरोप है कि जब भीड़ ने आरोपी से पूछा कि क्या हुआ था, तो श्रीमती. किरण बाई और ईश्वरी लाल यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने का बलिदान दिया था। अन्य सह–अभियुक्तों की मदद से और दया की गुहार लगाई। तुरंत इसके बाद, भीड़ ने ताजा खुदाई की गई मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और पराग के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। चिराग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई जिस पर उन्होंने कुछ खुलासा बयान दिए। इस तरह के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी की गई थी। जाँच पूरी करने के बाद, पुलिस ने सभी अपीलार्थियों और कृष्ण तांबी नाम के एक अन्य आरोपी के खिलाफ धारा 173 Cr.P.C के तहत अंतिम रिपोर्ट दर्ज की। हालाँकि, चूंकि वह फरार था, इसलिए उसके मुकदमे को अलग कर दिया गया। सभी अभियुक्तों ने अपराध से इनकार किया है और मुकदमे का दावा किया है। उन पर पहले उल्लिखित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग और उन्हें दोषी ठहराया गया और दिनांक 27.03.2014 के फैसले के माध्यम से सजा सुनाई गई। सभी अपीलार्थियों को मृत्युदंड दिया गया था। Cr.P.C की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया था।

7. अपीलकर्ताओं ने आपराधिक अपील के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा को भी चुनौती दी है। दोनों पर एक समान निर्णय द्वारा विचार किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 302/34 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत दोषसिद्धि और मुख्य आरोपी, ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई को मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।

9. इन अपीलों में, मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि कथित इकबालिया बयान में, मृतक लड़के के अपहरण और हत्या के लिए आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है–चिराग। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए सभी निष्कर्ष, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए अपीलार्थियों के इकबालिया बयान पर निर्भर करते हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24, 25 और 26 के तहत वर्जित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध की घटना के स्थान पर पुलिस के आगमन के बारे में गवाहों के बयानों और कथित ईश्वरी लाल यादव किरण बाई पर भौतिक विरोधाभास हैं। अतिरिक्त–न्यायिक स्वीकारोक्ति, इसके बावजूद, नीचे की अदालतों ने ऐसे साक्ष्य को रिकॉर्ड पर स्वीकार किया है और विवादित निर्णय पारित किए हैं। यह है। प्रस्तुत किया कि, चूंकि मृतक का शव मुख्य अभियुक्त के कब्जे में नहीं मिला था, इसलिए नीचे की अदालतों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की सहायता लेने में त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बड़ी भीड़ जमा होने के बाद ही शव की खोज की गई थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य व्यक्ति के कंकाल की खोज और खराब चरित्र का सिद्धांत, यानी अपीलकर्ता काला जादू करने वाले थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14, 15 और 54 के तहत वर्जित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत नहीं दिया है कथित अपराध करने के लिए अपीलार्थियों के बीच साजिश साबित करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत घटक।

10. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील का यह तर्क है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि और किसी भी पुष्टि के अभाव में, नीचे दी गई अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 34 और 120 बी की सहायता से अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में त्रुटि की है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई को मृत्युदंड देने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। अन्य सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन घटना को "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" नहीं माना जा सकता है ताकि मृत्युदंड दिया जा सके। अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित मामलों पर भरोसा किया हैः

1. अघनू नागेसिया बनाम। बिहार राज्य 1966 (1) एस. सी. आर. 134 = ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 119

`2. सहदेवन और अन्र। वी. तमिलनाडु राज्य 2(2012) 6 एस. सी. सी. 403

3. शंभू नाथ मेहरा बनाम। अजमेर राज्य 31956 एससीआर 199

4. फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन और अन्य। वी. केरल राज्य(2001) 7 एस. सी. सी. 596

5. रॉनी वी. महाराष्ट्र राज्य 3(1998) 3 एस. सी. सी 625 [2019] 13 एस. सी. आर

11. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुमीर सोधी ने कहा है कि यह मामला एक मानव बलि के रूप में दो सालके छोटे लड़के की नृशंस हत्या औरअपीलार्थियों के वकील नाबालिग हैं और वे निचली अदालत द्वारा प्राप्त उचित तर्कपूर्ण निष्कर्षों और निष्कर्षों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। विद्वान राज्य वकील ने सुशील मुर्मू बनाम झारखंड राज्य [2004] 2 एससीसी 338 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

12. विद्वान परामर्शों को सुनने के बाद हमने विवादित निर्णयों और अभिलेख पर सामग्री का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

13. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 से पीडब्लू 22 तक की जांच की है। जब वंदना राजपूत (पीडब्लू–21) ने इसकी सूचना दी, और वह उन्हें जानता है। वह अन्य सभी अभियुक्तों को भी जानता है क्योंकि वे नियमित रूप से आते हैं लेकिन वह उनके नाम नहीं बता सकता था। उन्होंने आगे कहा कि लापता की खोज के दौरान उनकी पत्नी श्रीमती के साथ। किरण बाई और अन्य, उन्होंने मुख्य आरोपी के घर से तेज संगीत सुनाई दिया, जिससे इलाके के लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया, इसलिए वे ईश्वरी लाल और किरण बेल के घर में घुस गए और देखा कि पूजा स्थल के आसपास की जमीन गीली थी और उस जगह पर एक चाकू भी पड़ा था। गीली जगह खोदने पर चिराग का शव मिला। शव दो हिस्सों में था और गर्दन से सिर काट दिया गया था। दोनों गाल कटे हुए थे। पूजा स्थल पर देवताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्हें अन्य अभियुक्तों के नाम पता चल गए हैं। इसी तरह पीडब्लू–5 का मौखिक साक्ष्य भी है जो मृत बच्चे की मां है। अपने बयान में उसने कहा है कि वह घरेलू सहायक के रूप में काम करता है। घटना के दिन जब वंदना राजपूत (पीडब्लू–21) ने मृत बच्चे की मां को सूचित किया, तो पीडब्लू–5 सावित्री बाई घर वापस आ गई हैं और कहा जाता है कि वह अपने पति और अन्य लोगों के साथ लापता लड़के की तलाश कर रही थीं, और ईश्वरी लाल यादव के घर से तेज संगीत निकल रहा था वे घर में घुस गए। उसने आगे कहा है कि वह आरोपी किरण बाई और ईश्वरी लाल यादव, निहलूद्दीन उर्फ खानबाबा, हेमंत साहू और सुखदेव को जानती है। उसने यह भी कहा है कि अन्य सभी आरोपी नियमित रूप से ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर जा रहे थे। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब वे ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर में घुसे तो उन्होंने मानव बलि के रूप में पराग की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया और दया की गुहार लगाई। समूह के सदस्यों के संदेह पर पूजा स्थल खोदा गया और खुदाई करने पर पराग का शव मिला। उसका सिर शरीर से अलग कर दिया गया था, दोनों गालों पर गहरे घाव थे और जीभ काट दी गई थी। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर वह बेहोश हो गई। अपने बयान में उसने विशेष रूप से कहा है कि पुलिस उनके साथ ईश्वरी लाल यादव के घर के अंदर नहीं आई थी, वे

बाद में आई थी। पोषण सिंह के भाई श्री सूरज सिंह राजपूत (पीडब्लू–2) से भी पूछताछ की गई। अपने बयान में उसने कहा है कि वह सभी अभियुक्तों को जानता है क्योंकि पहले वह रुवांधा क्षेत्र में रहता था जहाँ सभी अभियुक्त रहते थे। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अपने भाई पोषण सिंह (पीडब्लू–3) के फोन पर यह कहते हुए कि वह लापता है, वह अपने भाई के घर गया और उसके साथ उसकी साली और इलाके के अन्य लोगों ने उसकी तलाश की। इसके बाद वे पुलिस स्टेशन गए, एक रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने इलाके में लौट आए और तांत्रिकों–ईश्वरी लाल यादव और श्रीमती के घर में तेज संगीत सुना। किरण बाई–और शक होने पर वे दूसरों के साथ घर के अंदर चले गए। उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि पूछताछ में ईश्वरी लाल यादव ने कबूल किया कि उसने मानव बलि के उद्देश्य से हेमंत साहू से चिराग का अपहरण करने के लिए कहा था। इसके बाद मौके पर पूजा–अर्चना की गई और वहां पर ही चिराग की बलि चढ़ाकर दफनाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मानव बलि के समय, ईश्वरी लाल यादव की पत्नी, यानी, श्रीमती. किरण बाई, उनके तीन बच्चे और अन्य सभी आरोपी मौजूद थे। श्री राम अवतार गडा भी आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई और सावित्री बाई और पोषण सिंह का पड़ोसी है, उससे पीडब्लू–6 के रूप में पूछताछ की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि आरोपी ईश्वरी लाल यादव और श्रीमती. किरण बाई ज्ञात तांत्रिक थीं और अन्य आरोपी उनके अनुयायी थे। जोरदार संगीत सुनकर, वह मुख्य आरोपी, . के घर गया। दूसरों के साथ और पूजा क्षेत्र की खुदाई करते समय, दो हिस्सों में बना हुआ, गर्दन और दोनों गालों में कटा हुआ, एक शव मिला। काट दिए गए। श्री पारसनाथ भूरिया जिनका पी. डब्ल्यू.–9 के रूप में परीक्षण किया गया था, ने कहा है कि घटना के दिन उन्हें पता चला कि लापता होने पर, वे सभी चिराग की तलाश कर रहे थे और आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर से आ रहे तेज संगीत को सुनकर, वे उनके घर में घुस गए और वह आरोपी ईश्वरी लाल यादव को पहचान सका और अंधेरा होने के कारण वह अन्य अभियुक्तों को पहचान नहीं सका। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने अभियुक्तों से पूछताछ की, तो अभियुक्त ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई ने स्वीकार किया कि उन्होंने पराग की बलि दी थी और दया की गुहार लगाई थी। क्षेत्र के पार्षद–राजेंद्र रजक की जांच पीडब्लू–10 के रूप में की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पराग की दादी उनके घर आई हैं और उन्होंने अपने पोते के लापता होने की सूचना दी है। इसके बाद उन्होंने एक सुझाव दिया है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से एक घोषणा की जाए। इसके बाद इसकी घोषणा की गई। इलाके के सभी लोग चिराग की तलाश कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पोषण सिंह (पीडब्लू–3) का घर आरोपी ईश्वरी लाल यादव के घर से सटा हुआ है। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा है कि जब घोषणा किए जाने के बाद भी बच्चे के ठिकाने का पता नहीं था और मुख्य आरोपी थे लगातार संगीत बजाते हुए, वह अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर के अंदर चला गया। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्य अभियुक्तों ने कहा है कि उनकी तांत्रिक गतिविधियों के अनुसरण में पराग की बलि दी गई थी और उन्हें घर के अंदर दफनाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अन्य अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां मौजूद थे। पीडब्लू–12–दिलीप ठाकुर का साक्ष्य भी इसी तर्ज पर है जिसमें कहा गया है कि पराग के लापता होने की घोषणा सुनने के बाद उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर चिराग की तलाश शुरू कर दी। पीडब्लू–13–अरविंद सिंह के साक्ष्य का भी यही प्रभाव है। श्री शिव कुमार रजक नामक एक व्यक्ति

की जांच पीडब्लू 16 के रूप में की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पोषण सिंह के बेटे पराग के लापता होने की घोषणा सुनने के बाद वह दूसरों के साथ शामिल हो गए। ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर से तेज संगीत सुनने के बाद वे भी दूसरों के साथ अंदर घुस गए। उन्होंने आगे कहा है कि पूजा क्षेत्र की खुदाई के बाद, चिराग का शव मिला जो दो हिस्सों में था। चिराग के सिर पर कुछ राख लगा दी गई है और दोनों गाल काट दिए गए थे और जीभ गायब थी। इसके बाद ही पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने आगे कहा कि जब आरोपी ईश्वरी लाल यादव से पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि उसने हेमंत साहू को ईश्वरी लाल यादव बनाम का अपहरण करने के लिए कहा था। बच्चे ने और उसके बाद उन्होंने बच्चे की पूजा की, तिलक लगाया, पैर छुए और फिर बच्चे की बलि दी। उन्होंने यह भी कहा है कि पूछताछ में, अभियुक्त ने स्वीकार किया कि लगभग छह महीने पहले उन्होंने एक बालिका की भी बलि दी थी।

14. उन सभी व्यक्तियों के अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य से जिनके पास है मृतक बच्चे के माता–पिता, यानी पोषण सिंह (पीडब्लू–3) और सावित्री बाई (पीडब्लू–5) के साथ, यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक स्वर में कहा है कि जब वे मुख्य आरोपी के घर में घुसे तो उन्हें कुछ ऐसा क्षेत्र मिला जो गीला था और कुछ पूजा के सामान थे। जब उन्होंने मिट्टी के ताजा टीलों को देखा, तो उन्होंने उसे हटा दिया और मृत बच्चे का शव दो हिस्सों में मिला। सभी गवाहों ने लगातार कहा है कि शरीर दो हिस्सों में था, उसके गाल काट दिए गए थे और जीभ गायब थी।

15. पुलिस के साथ पहली जानकारी पीडब्लू–19–डोमर सिंह ठाकुर द्वारा दर्ज की गई थी। सिपाही जिसने पद के लिए आवेदन लिया था शव की जांच पीडब्लू–1 के रूप में की गई। डॉ. लाल मोहम्मद पीडब्लू–14 जिनका चिराग के शव का पोस्टमार्टम किया गया था, ए पातिराम बरेथ पीडब्लू–11 उस क्षेत्र का पटवाड़ी था और अपने बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस घर से बच्चे का शव बरामद किया गया था, वह ईश्वरी लाल यादव का है। पीडब्लू–18 सहायक उप निरीक्षक है जिसने आरोपी ईश्वरी लाल यादव को हिरासत में लिया और Ex.P21 के तहत उसका बयान दर्ज किया। उच्च न्यायालय द्वारा आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया गया था। अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन कई स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की गई थी, वे मृतक के माता–पिता के साथ खोज के समूह में थे और वे तेज संगीत सुनकर मुख्य आरोपी के घर में प्रवेश कर गए हैं। साक्ष्यों से यह भी उतना ही स्पष्ट है कि पुलिस घटना स्थल पर तभी आई है जब पीडब्लू–10–पार्षद ने पुलिस को सूचित किया है।

16. अभिलेख पर उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक लड़के के माता–पिता अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़के की तलाश कर रहे थे। ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर से तेज संगीत सुनकर उन्हें संदेह हुआ और वे घर में घुस गए। ऊपर वर्णित स्वतंत्र गवाहों द्वारा लगातार यह बयान दिया जाता है कि जब वे मुख्य आरोपी, ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर में घुसे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बलिदान के उद्देश्य से मृत बच्चे की हत्या की है। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है यह दिखाने के लिए कि इस तरह के इकबालिया बयान प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण होते हैं। जब

इस तरह के इकबालिया बयानों की पुष्टि रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों द्वारा की जाती है, तो निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के इकबालिया बयानों पर सही भरोसा किया। साक्ष्यों से यह साबित होता है कि जिस स्थान पर मृतक चिराग का शव मिला था, वह ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई का है और उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर निचली अदालत ने इस तरह के साक्ष्य को रिकॉर्ड में स्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है। यह सच है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है, लेकिन साथ ही यदि रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

17. अपहरण और साजिश के आरोप को साबित करने के लिए, रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है। किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में हेमंत साहू द्वारा मृत लड़के के अपहरण और अन्य के लिए, अभिलेख पर साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत प्रावधान को आकर्षित करने के सामान्य इरादे को साबित करने के लिए, इसके लिए एक पूर्व नियोजित योजना और पूर्व संगीत कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए, मन की पूर्व बैठक होनी चाहिए। एक समय में अधिनियम के आयोग से पहले सामान्य इरादा मौजूद होना चाहिए। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि आपराधिक अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। यदि हम अभिलेख पर साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के बीच सामान्य इरादा साबित होता है जो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन साथ ही अन्य सभी के खिलाफ उनके अपराध को साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि उन्होंने समान इरादे से अपराध किया है। अभियोजन अन्य सभी के सामान्य इरादे को साबित करने में विफल रहा है। अभिलेख पर साक्ष्य से यह पता चलता है कि मुख्य अभियुक्त, ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई की तुलना में अपीलकर्ता, घटना के दिन मृत बच्चे का अपहरण या हत्या करने के लिए। अन्य सभी आरोपी स्व–घोषित गुरुमाता किरण बाई के शिष्य थे और वे नियमित रूप से मुख्य आरोपी के घर फल और फूल चढ़ाने जाते थे। नामित व्यक्तियों की कोई स्थिरता नहीं है ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर में गवाह, जब वे सभी उनके घर में घुसे। यहां तक कि पीडब्लू–5 सावित्री बाई ने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अन्य सभी आरोपी नियमित रूप से फलों और फूलों के साथ ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के घर आते थे। बच्चे के पिता पी. डब्ल्यू.–3 पोषण सिंह ने जिरह में कहा है कि वह ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के नाम घटना की पहले से जानते थे और उन्हें अन्य सभी अभियुक्तों के नाम पता चल गए हैं।, पीडब्लू–6 राम अवतार गडा ने अपने बयान में यह भी कहा कि आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई ज्ञात तांत्रिक थे और अन्य आरोपी उनके अनुयायी थे। इसके अलावा पीडब्लू–9 पारसनाथ भूरिया ने अपने बयान में कहा है कि वह दूसरों के साथ घर में घुसा और वह केवल ईश्वरी लाल यादव को पहचान सका और अंधेरा होने के कारण वह अन्य सभी को पहचान नहीं सका। मुख्य अभियुक्त ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई सहित अन्य सभी अभियुक्तों की उपस्थिति के संबंध में किसी भी सुसंगत निश्चित साक्ष्य के अभाव में और आगे जब अभियोजन पक्ष मुख्य अभियुक्त के साथ अपनी ओर से सामान्य इरादे या साजिश को साबित करने में विफल रहा है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करना मुश्किल है

क्योंकि वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराध के लिए मुख्य आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के अपराध को साबित कर दिया है। आम इरादा केवल मुख्य आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई तक ही सीमित रहना है, लेकिन यह दूसरों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

18. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए अघनू नागेसिया 1 के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है कि निचली अदालतों ने स्वीकारोक्ति के आधार पर अपीलार्थियों के अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने में त्रुटि की है। लेकिन यही एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी पर अपनी चाची और अन्य लोगों की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था और हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अपीलार्थी के खिलाफ प्रमुख साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट थी जिसमें स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपराध की पूरी स्वीकारोक्ति शामिल है। उक्त स्वीकारोक्ति एक पुलिस अधिकारी के सामने की गई थी और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में सिद्ध नहीं है। सहदेवन 2 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी अधिक निर्भरता रखी गई है। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है और न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। यदि अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य की समग्रता पर हाथ में मामले में विचार किया जाता है, तो यह सुसंगत है और मुख्य अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले के विश्वास को प्रेरित करता है। हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णयों से कोई लाभ नहीं होगा।अपीलार्थियों के मामले का समर्थन करने में सहायता।

19. विद्वान वकील ने शंभू नाथ मेहरा 3 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। उपरोक्त निर्णय में यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष और . पर है। धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा, या किसी भी तरह से असमान रूप से कठिन होगा जो अभियुक्त की जानकारी में "विशेष रूप से" हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है। हाथ पर मौजूद इस मामले में यह ठोस साक्ष्य से साबित होता है कि चिराग का शव ईश्वरी लाल यादव के घर में मिला था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रावधान को लागू करने से निश्चित रूप से यह अभियुक्तों का बोझ है कि वे अपने ज्ञान के भीतर इस तथ्य को समझाएं कि कैसे उनके शरीर को उनके घर में दफनाया गया था। शंभू नाथ मेहरा 3 के मामले में जिस फैसले पर भरोसा किया गया था, वह भी अपीलार्थियों के लिए मददगार नहीं होगा। फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन * के मामले में इस न्यायालय ने उन तत्वों पर चर्चा की है जो आई. पी. सी. की धारा 120 बी के अर्थ के भीतर आपराधिक साजिश का गठन करते हैं। जैसा कि हमारा विचार है कि अभिलेख पर साक्ष्य आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आगे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

20. विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने रॉनी के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस अदालत ने कई अभियुक्तों के मामले में कहा है कि जहां प्रत्येक अभियुक्त की दोषीता यह जांचने के लिए स्पष्ट नहीं है कि किसका मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों" में आता है, यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा, अगर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाता है।

21. यह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है, लेकिन उस मामले में जहां घटना हुई हो। "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" के लिए मौत की सजा दी जानी है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल विशेष तथ्य और परिस्थितियां ही मौत की सजा को पारित करने की गारंटी देंगी और उग्र करने वाले ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए और विकल्पों का प्रयोग करने से पहले परिस्थितियों को कम करना। बचन सिंह बनाम के मामले में पहले के मामलों का उल्लेख करते हुए। पंजाब राज्य 'और माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य के आगे के दिशा–निर्देशों को सुशील मुर्मू के मामले में फैसले के पैराग्राफ 15 और 16 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

> " 15. बचन सिंह मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 से निम्नलिखित दिशा–निर्देश सामने आए हैंः 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता हैः (माची सिंह मामला [(1983) 3 एस. सी. सी. 470: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 681] एस. सी. सी पी. 489 , पैरा 38)
>
> (i) मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि – अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीर मामले।
>
> (ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले "अपराधी" की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। "अपराध" की परिस्थितियाँ।
>
> (iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। मौत की सजा तभी दी जानी चाहिए जब आजीवन कारावास अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है और बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने के विकल्प का ईमानदारी से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
>
> (iv) बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए।

16. दुर्लभतम मामलों में जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा इतनी विचलित होती है कि वह न्यायिक धारकों से उम्मीद करेगी मृत्युदंड को बनाए रखने की वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड देने के लिए शक्ति केंद्र, मृत्युदंड दिया जा सकता है। समुदाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना को मान सकता है:

(1) जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से की जाती है ताकि समुदाय का तीव्र और अत्यधिक आक्रोश उकसाया जा सके।।

(2) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है जैसे कि किसी भाड़े के हत्यारे द्वारा पैसे या इनाम के लिए हत्या या किसी व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या, जिसके खिलाफ हत्यारा हावी स्थिति में है या किसी अन्य स्थिति में है। विश्वास की स्थिति, या हत्या विश्वासघात के दौरान की जाती है

। (3) जब किसी अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं, या "दुल्हन" के मामलों में की जाती है।

"जलाना" या "दहेज मृत्यु" या जब एक बार फिर से दहेज निकालने के लिए पुनर्विवाह करने के लिए हत्या की जाती है या मोह के कारण दूसरी महिला से शादी करें।

स्थान, प्रतिबद्ध हैं। (5) जब हत्या का शिकार एक निर्दोष बच्चा हो, या एक असहाय महिला हो, या एक बूढ़ा या कमजोर व्यक्ति हो, या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हत्यारा हावी स्थिति में हो या आम तौर पर एक सार्वजनिक व्यक्ति हो। समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान किया जाता है।

22. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिन पर विचार किया जाना है, किसी दिए गए मामले में कि क्या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। "दुर्लभतमतम मामले" में मृत्युदंड दिया जाना है। प्रत्येक मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। अभियुक्त की आयु, सुधार की संभावना, अपराध की गंभीरता आदि जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

23. इस मामले में अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई ने भगवान को बलिदान के रूप में दो साल के बच्चे की हत्या अपराध को अंजाम दिया है।। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय उनके तीन नाबालिग बच्चे थे। इसके बावजूद, उन्होंने मृतक की हत्या कर दी, जो दो ईश्वरी लाल यादव बनाम की संतान थी। बरसों की उम्र बेरहमी से। असहाय बच्चे का सिर काट दिया गया, उसका जीभ और गाल भी काट दिए गए थे। अभियुक्तों की उम्र को ध्यान में

रखते हुए, उनके पास बुनियादी मानवता नहीं थी, उनके पास पूरी तरह से ऐसी मानसिकता या मानसिकता की कमी थी जो किसी भी सुधार के लिए उपयुक्त हो सकती है। यह उपरोक्त दो अपीलार्थियों द्वारा की गई एक सुनियोजित हत्या है। इसमें अपीलकर्ता जो मुख्य आरोपी हैं, अर्थात्, ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई को भी पहले के अवसर पर सत्र परीक्षण सं. 201 में आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 98/2011 विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा 6 वर्षीय लड़की की इसी तरह की हत्या के लिए, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस तरह की सजा को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील में अपील पर संशोधित किया गया था और उन्हें बिना किसी छूट या पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस न्यायालय में अपील करने पर, उच्च न्यायालय का आदेश है। इसी तरह के अपराध के लिए इस तरह की सजा को उकसाने वाला कारक माना जा सकता है। सुशील मुर्मू के मामले में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हमारा विचार है कि यह "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" का मामला है जहां निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा सही पुष्टि की जाती है। चूंकि मामला जहां तक मुख्य अभियुक्त का संबंध है, किसी भी उचित संदेह से परे साबित होता है, इसलिए रॉनी के मामले में अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह भी उनके लिए सहायक नहीं है। उसमें अपीलार्थियों को अलग रखा जाता है। उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा यदि उनके किसी अन्य मामले के लिए हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

24, आपराधिक अपील सं। 300–301 का 2018 और आपराधिक अपील सं। 1418–1419 का 2017 क्रमशः ईश्वरी लाल यादव और किरण बाई द्वारा का मामला आंशिक रूप से स्वीकृत है। आई. पी. सी. की धारा 364/34 और 120 बी के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया। हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 201 के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, जिससे आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए उन पर लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि होती है। आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत उन पर लगाई गई सजा की भी पुष्टि की गई है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

**Translated and vetted by Jitendra Thakur ADJ, Chhattisgarh.